लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर)
(दूरभाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

कं./स्था.02/टी संवर्ग/संवि./2026 814 अटल नगर दिनांक 07/08/2026

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत छ.ग.।
2. समस्त आयुक्त
   नगर निगम छ.ग.।
3. समस्त संयुक्त संचालक
   शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़।

विषयः— व्याख्याता पंचा./न.नि. पद से व्याख्याता एल.बी. के पद पर त्रुटिपूर्ण संविलियन के प्रकरणों में संशोधित संविलियन आदेश जारी किये जाने के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर व्याख्याता (पंचा./न.नि.) का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता एल.बी. के पद पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन निर्देशों के अनुसार किया गया है।

वर्तमान में कुछ जिलों के अंतर्गत टी संवर्ग की संस्था के अंतर्गत संचालित संस्था में पदस्थ शिक्षक (पंचा./न.नि.) के ई संवर्ग में संविलियन होने तथा ई संवर्ग के अंतर्गत संचालित संस्था में पदस्थ शिक्षक (पंचा./न.नि.) का संविलियन टी संवर्ग में होने का प्रकरण प्रकाश में आया है।

ऐसे प्रकरण छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश कमांक एफ 12.03/2018/20—दो/2018 दिनांक 30.06.2018 के कंडिका 02 :— "स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं में जहॉ ई—संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग, नवीन नाम शिक्षक ई (एल.बी.) संवर्ग के तथा जहॉ टी—संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग, नवीन नाम शिक्षक टी (एल.बी.) संवर्ग के अंतर्गत होंगे एवं इनका कैडर पृथक—पृथक होगा।" में दिये गये निर्देशों के विपरित है।

उक्त शासन निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं में जहॉ ई—संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग का संविलियन शिक्षक ई (एल.बी.) संवर्ग के अंतर्गत किया जाना है तथा जहॉ टी—संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है, उन शालाओं में पदस्थ शिक्षक (पं./न.नि.) संवर्ग, का संविलियन शिक्षक टी (एल.बी.) संवर्ग के अंतर्गत किया जाना है।

उक्त संबंध में पूर्व में जारी किये गये त्रुटिपूर्ण संविलियन आदेश का परीक्षण करते हुये समस्त प्रकरणों की एकीकृत सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 10.08.2026 तक संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

उक्त दिवस तक प्रकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रकरणों की संख्या शून्य मानी जावेगी तथा इसके उपरांत प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(संचालक महोदय द्वारा निर्देशित)

7/8

उप संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

d:\sthapna 2\logo 3 (repaired) (repaired).docx
2017

पृ.कं. / स्था.02 / टी संवर्ग / संवि. / 2026 815 अटल नगर दिनांक 07 / 08 / 2026

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त प्राचार्य शा.उ0मा0वि0 / हाईस्कूल / कन्या शिक्षा परिसर / गुरूकुल / आदर्श उ.मा.वि. छ0ग0।
3. समस्त व्याख्याता एलबी टी संवर्ग उ0मा0वि0 / हाईस्कूल / कन्या शिक्षा परिसर / गुरूकुल / आदर्श उ.मा.वि. छ0ग0 सूचनार्थ।

उप संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

d:\sthapna 2\logo 3 (repaired) (repaired).docx
2018

प्रपत्र

जिला स्तरीय वरिष्ठता कमांक	जिले का नाम	कर्मचारी का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	प्रवर्ग	वर्तमान पद का विषय	व्यवसायिक योग्यता	प्रथम नियुक्ति का पद	प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक	वर्तमान पद पर नियुक्ति/ पदोन्नति आदेश दिनांक	वर्तमान पद पर कार्यभार दिनांक	व्या0 (पं. / न.नि.) के पद पर वरिष्ठता दिनांक	व्याख्याता के पद पर वरिष्ठता दिनांक	संबंधित के संविलियन के समय पदस्थ संस्था का संवर्ग	संबंधित का संविलियन किस संवर्ग में हुआ है	संबंधित का संविलियन आदेश का विवरण (पूर्ण पत्र कमांक का उल्लेख करें)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19